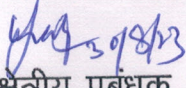
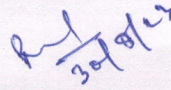


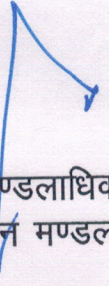
राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र
(कार्यालीन पत्र क्रमांक/भु.प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)

साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरबा क्षेत्र के बगदेवा भूमिगत परियोजना जिला कोरबा वन मण्डल कटघोरा वन परिक्षेत्र कटघोरा, तहसील कटघोरा, राजस्व निगम मण्डल दीपका में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 81.364 हे. क्षेत्र का ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा जिला कोरबा का प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रं. ~~277~~ में संलग्न है। राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र जमा करने हेतु एसईसीएल कोरबा क्षेत्र का वचन पत्र संलग्न है।


उपक्षेत्रीय प्रबंधक

ढेलवाडीह-सिंघाली-बगदेवा उपक्षेत्र


क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा



Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED
(कोल ईण्डिया का एक अंश / A Subsidiary of Coal India Ltd.)
कार्यालय महाप्रबंधक, कोरबा क्षेत्र
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
KORBA AREA
" A MINI RATNA COMPANY "

Tel: 07759-221041 (Off.)
Fax: 07759-249040

Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

पो. कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)
PO: KORBA
DIST: KORBA (CG)

संदर्भ क्र: एसईसीएल / महाप्रबंधक / कोरबा / 2023 / 72

दिनांक: 30/08/2023

वचन पत्र

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र जमा करने बाबत

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) लिखित रूप से वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि बगदेवा भूमिगत परियोजना की अवेदित राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण कर भारत सरकार, वन विभाग को जमा किया जाएगा।

[Signature]

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह-सिंघाली-बगदेवा उपक्षेत्र

[Signature]

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

276-a (A)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / २२२६ / भू.अधि. / स.अ.भू.अ. / २०१५

कोरबा दिनांक १७-१०-२०१५

प्रति,

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

विषय :- एस.इ.सी.एल., कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 108.483 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ :- महाप्रबंधक एस.इ.सी.एल. कोरबा का पत्र क्रमांक क्र० एस.इ.सी.एल. कोरबा/मुप्र/वन/१३/०१ दिनांक ०२/०१/२०१४

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। महाप्रबंधक द्वारा बगदेवा भूमिगत कोयला खदान हेतु ग्राम सिंघाली, अभयपुर, जवाली में कुल रकबा 108.483 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत निवेदन किया गया है।

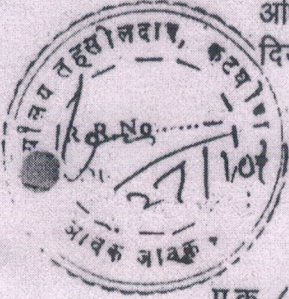
वन मण्डलाधिकारी अनुविभागीय राजस्व कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन निम्नानुसार है

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्राप्तवित रकबा	मद	अन्य विवरण
1	सिंघाली	8/1(क)	66.132	27.595	बड़े झाड़ काजंगल	4 व्यक्तियों को रकबा 0.756 हे. भूमि पर वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है।
2		270	32.862	17.806	बड़े झाड़ काजंगल	
3		330	12.686	2.833	बड़े झाड़ काजंगल	
	योग		111.680	48.234		4 व्यक्तियों को 0.756 हे. वित.
4	अभयपुर	180	13.881	4.467	बड़े झाड़ काजंगल	1 व्यक्ति को रकबा 0.121 हे०
5		230	0.874	0.874	बड़े झाड़ काजंगल	1 व्यक्ति को रकबा 0.121 हे० वन अधि. पत्र वितरण
		249	0.142	0.142	बड़े झाड़ काजंगल	
		283	4.030	4.030	बड़े झाड़ काजंगल	4 व्यक्तियों को रकबा 0.606 हे० वन अधि. पत्र वितरित
	योग		18.927	9.513		6 व्यक्तियों को 0.848 हे. वित.
7	जवाली	104	20.308	16.988	बड़े झाड़ काजंगल	12 व्यक्तियों को रकबा 2.426 हे. वन अधि. पत्र वितरित
8		107	6.099	4.156	बड़े झाड़ काजंगल	
9		108	6.791	4.768	बड़े झाड़ काजंगल	2 व्यक्तियों को रकबा 0.568 हे. वन अधि.पत्र वितरित
10		109	14.650	13.639	बड़े झाड़ काजंगल	3 व्यक्तियों को रकबा 0.635 हे. वन अधि.पत्र वितरित
11		113	15.014	8.395	बड़े झाड़ काजंगल	10 व्यक्तियों को रकबा 2.713 हे. वनअधिकार पत्र वि.

	190	34.893	1.030	बड़े झाड़ काजंगल	4 व्यक्तियों को रकबा 1.030 हे. वन अधिपत्र वि.	
13	193	0.579	0.146	बड़े झाड़ काजंगल	11 व्यक्तियों को रकबा 0.081 हे. वन अधिपत्र वि.	
14	जवाली	116	4.670	2.408	बड़े झाड़ का जंगल	
	योग		103.004	51.530		31 व्यक्तियों को 7.551 हे. वि.
	कुल योग		233.611	109.277		41 व्यक्तियों को 8.755 हे. वन अधिकार पत्र वितरित किया

प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त आवेदित नंबरों के संबंध में सक्षम विभाग को 109.277 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर भूमिगत कोयला खदान हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
- भूमिगत खदान हेतु संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
- भूमिगत कोयला खदान निर्माण कार्य में किसी प्रकार से क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
- इस अनुमति के द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
- भूमिगत खदान क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायलय/विभाग से लिया जाना होगा।
- आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ.ग. शासन को देय होगी।
- सीमांकन उपरांत जिन खसरा नंबरों पर वन अधिकार पत्र वितरण हुआ है/पाया जाता है, तो उक्त स्थिति में छ.ग. शासन की पुनर्वास नीति 2007 का उचित पालन एवं वन अधिकार पत्र धारियों के उचित व्यवस्थापन किये जाने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।



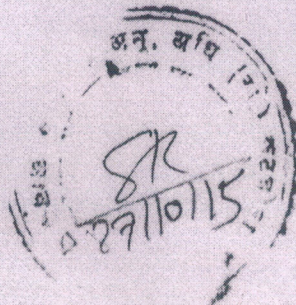
(पी. प्रमाणपत्र)
कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र./ 2227/भू.अ./स.अ.भू.अ./2015
प्रतिलिपि :-

कोरबा दिनांक

18-10-2015

- वन मण्डलाधिकारी अधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
- तहसीलदार कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
- महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल, कोरबा की ओर सूचनार्थ।



(कलेक्टर)
कोरबा (छ.ग.)